न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 106/2022

उनवान

अशोक कुमार झरवाल पुत्र श्री गजानन्द मीणा
गजानन्द मीणा पुत्र श्री परमान्नद मीणा
जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
गिरधारी पुत्र नारायण
भैरूलाल पुत्र नारायण
मातादीन पुत्र मुंशीलाल
जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
ग्यारसीलाल पुत्र ओमकार
जगदीश पुत्र ओमकार
फूलचन्द पुत्र ओमकार
जाति स्वामी निवासीयान, रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 18/10/2021

रण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 2513 रकबा 2.33 है0,,कुल किता 1 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण ातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के समीप अप्रार्थीगण 2 से 7 की भूमि स्थित है। गण प्रार्थीगण की भूमि की सींव डोल को काटकर अपने खेत में मिलाने धमकी देते रहते है तथा ा की भूमि पर जबरन लठ के जोर से कब्जा करना चाहते है। तहसीलदार शाहपुरा के आदेश /भू0अ0/ 2018/ 3940–45 दिनांक 6.4.2018 की पालना में दिनांक 11.5.2018 को पटवारी हल्का ा के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 11.5.2018 के बाद से पडौसी ारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण ज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 4 ने स्वंय उपस्थित होकर गढी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया । अप्रार्थी सं0 2 व 3 की आरे से श्री जितेन्द्र ानिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपने ख0नं0 305/2515 रका 2.25 है0 भूमि वाके ग्राम रामपुरा त्थरगढी में शामिल करते हुए आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । वकील पक्ष की बहस सुनी गई । ।

विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया श्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.5.2018 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है ी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए ा पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में ी भूमि को भी पत्थरगढी में शामिल कर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया ।

मने विद्वान अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण या गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 11.5.2018 को पटवारी हल्का व अन्य पटवारियों के द्वारा ज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह भाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। रगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा ा आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का भी सीमाज्ञान चाहता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि 305/2513 रकबा 2.33 है0,,कुल 1 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए ी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.5.2018 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 305/2515 रका 2.25 है0 भूमि वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा का भी ाज्ञान/पत्थरगढी खातेदारान की मौजूदगी में की जावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर